न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 09/2022–23
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष.......... यशोदा देवी ....
बनाम
द्वितीय पक्ष ...... दिलीप साहु .... वगैरह

13.4.23

वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 08/2022 दिनांक 27.01.2023 धारा 144 द0प्र0सं0 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** यशोदा देवी, पति – नागेश्वर साहु, ग्राम – हाफु, थाना – कामडारा, जिला – गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** 1. दिलीप साहु, 2. सोहन साहु 3. संजय साहु पिता – बेचन साहु, ग्राम – हाफु, थाना – कामडारा, जिला – गुमला के बीच खाता सं0 97, प्लॉट सं0 89, रकबा – 0.50 एकड़ पर दोनों पक्षो के बीच जमीन का विवाद है। जिसको लेकर उभय पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। फलस्वरूप उभय पक्षों द्वारा अशांति भंग होने की सम्भावना है। थाना प्रभारी कामडारा के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि थाना कामडारा की अप्राथमिकी सं0 – 02/2022–23 के आधार पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा 144 प्रारंभ की गई है। प्रथम पक्ष की ओर से किसी तरह की शांति भंग होने की सम्भावना नहीं है। बल्कि द्वितीय पक्ष की ओर से शांति भंग होने की प्रबल सम्भावना है। प्रथम पक्ष का शांति पूर्वक कब्जा वाली भूमि में अनेक तरह की कठिनाई पैदा कर रहे हैं। मौजा हाफु, थाना – कामडारा, थाना सं0 97 जिला गुमला अन्तर्गत खाता सं0 – 97, प्लॉट सं0 – 89, रकबा – 0.50 एकड़ जमीन मेरे परिवार द्वारा हुकुमनामा द्वारा प्राप्त कर अपने नाम से लगान रसीद कटा रहे हैं। मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है :–

वंशावली

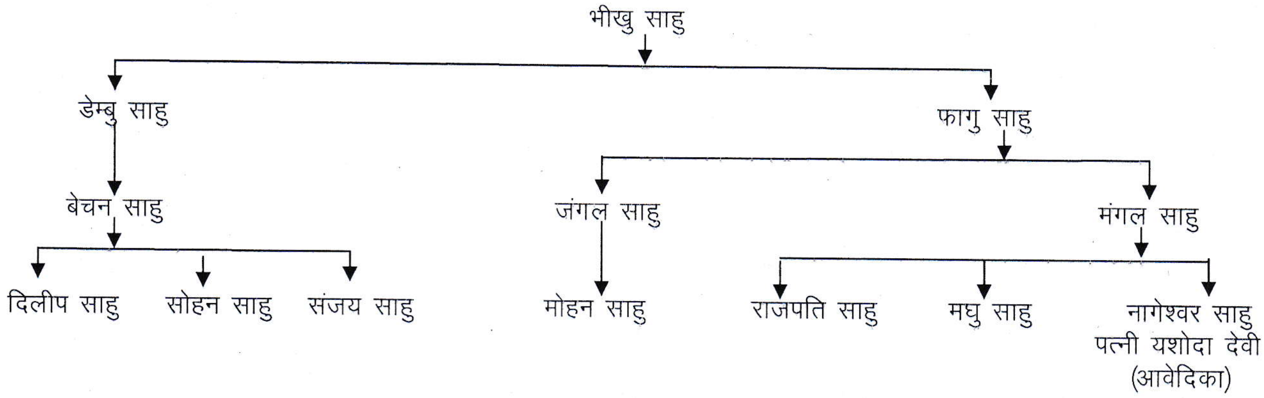

उपरोक्त वर्णित भूखण्ड मेरे पूर्वज जंगल साहु, मंगल साहु के नाम हुकुमनामा द्वारा प्राप्त किया गया है और दाखिल खारीज कराकर अपने नाम से लगान रसीद कटाते है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड 50 डिसमील में से 12 डिसमील जमीन को द्वितीय पक्ष जबरदस्ती हड़पने के प्रयास में है।

अनुरोध है कि प्रथम पक्ष के कारण पृच्छा सह लिखित बहस को स्वीकर करते हुए उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के 12 डिससील जमीन प्रथम पक्ष के हित में बिलुप्त करते हुए द्वितीय पक्ष को स्थिर किया जाय।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 ऑनलाईन रसीद की छाया प्रति।
2 ऑफलाईन रसीद की छायाप्रति।
3. ऑनलाईन खतियान की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष यशोदा देवी के लिखित पर उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द० प्र० सं० के तहत आरंभ की गई है जो द्वितीय पक्ष के विरुद्ध चलने योग्य नहीं है और खारिज करने लायक है। उक्त वाद मौजा हाफु थाना कामडारा जिला गुमला खाता नं. 97, प्लॉट नं. 89, रकबा 0.50 एकड़ (पचास डिसमिल से सम्बन्धित है) । उक्त वाद जमीन बँटुवारे को लेकर है और प्रश्नगत जमीन का बँटवारा नहीं हुआ है प्रथम पक्ष द्वारा जमीन का बँटवारा किये बिना ही मकान का निर्माण प्रथम पक्ष के द्वारा किया जा रहा है जो गलत है। प्रश्नगत जमीन सम्मिलात जमीन है और दोनों पक्षों की पूर्वजों की जमीन है। और उक्त जमीन डेम्बु साहु के नाम सरकारी लगान रसीद कट रहा है।

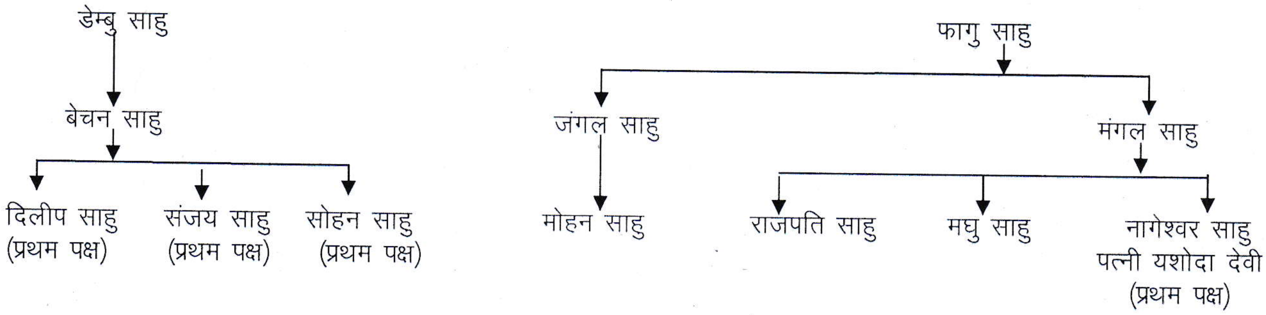

पुलिस प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष न्यायालय के द्वारा बँटवारा करना चाहते है। प्रथम पक्ष द्वारा बिना बँटवारा किये ही मकान का निर्माण किया जा रहा है और द्वितीय पक्ष संजय साहु के द्वारा निर्माण कार्य मना करने पर भी जबरजस्ती प्रथम पक्ष के द्वारा मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है जो गलत है। प्रथम पक्ष कभी भी कोई अप्रिय घटना कर सकते है और बिना बँटवारा किये जबरजस्ती मकान निर्माण कर रहे है। द्वितीय पक्ष कानुन को मानने वाले है जबकी प्रथम पक्ष कभी भी कानुन को तोड़ सकते है।

श्रीमान् से अनुरोध है कि धारा 144 द0प्र0सं0 की कार्यवाही द्वितीय पक्ष पर विलुप्त करते हुए प्रथम पक्ष पर धारा 144 दं0प्र0सं0 के तहत स्थिर किया जाय जिसके लिये द्वितीय पक्ष के सदस्य श्रीमान् का आभारी रहेगें।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।
1 सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति।

आदेश

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, कागजात, बहस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद्गत भूमि मौजा – हाफु के खाता सं0 97, प्लॉट सं0 89, रकबा – 0.50 एकड़ से संबंधित है। पुलिस अप्राथमिकी में यह उल्लेखित किया गया है कि विवादित भूमि खाता सं0 97, प्लॉट सं0 89 रकबा 0.50 एकड़ प्रथम पक्ष यशोदा देवी द्वारा मकान बनाया जा रहा है। वादगत भूमि को प्रथम पक्ष के द्वारा हुकुमनामा से प्राप्त कर दाखिल खारीज कराकर जंगल साहु वो मंगल साहु पेशरान फागु साहु के नाम से जमाबंदी कायम है एवं वर्तमान में भी लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। जबकि द्वितीय पक्ष दिलीप साहु वगैरह पेशरान बेचन साहु, डेम्बु साहु के वंशज से आते है जो जंगल साहु, मंगल साहु के पिता के भाई है। अतः द्वितीय पक्ष के लोग दूसरे वंशवृक्ष से आते हैं। पुलिस अप्राथमिकी में दर्ज है कि प्रथम पक्ष का उक्त विवादित भूमि पर पहले से दखल है उसके आधार पर प्रथम पक्ष द्वारा उक्त भूमि पर मकान निर्माण प्रारंभ किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं कागजातों के आधार पर प्रथम पक्ष के हित में आदेश पारित करते हुए द्वितीय पक्ष को स्थिर किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, कामडारा एवं थाना प्रभारी, कामडारा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.24 10:47:30 +05:30
Location: 192.168.1.4